A-4

कार्यालय–जिला न्यायाधीश, भदोही।

आदेश संख्या–22 / 2021

आदेश

विगत कई वर्षों से अभिलेखागार में पर्याप्त स्थान न होने के कारण विभिन्न न्यायालयों की निर्णीत पत्रावलियां दाखिल दफ्तर नहीं हो पा रही थी। जनपद न्यायालय भदोही के सरपतहां स्थित नवनिर्मित परिसर में स्थानान्तरित होने के फलस्वरुप नये अभिलेखागार में पत्रावलियों को दाखिल दफ्तर होने का कार्य प्रारम्भ किया गया है, जो वर्तमान में गतिमान हैं।

मेरे आदेश संख्या–462/2020 दिनांकित 23.12.2020 के द्वारा तत्कालीन अभिलेखपाल दीवानी श्री राजेश कुमार मिश्र को निलम्बित किया गया था, किन्तु अभिलेखागार में पत्रावलियों के दाखिल दफ्तर होने पर कार्य अधिक होने के दृष्टिगत एवं कर्मचारियों की संख्या को देखते हुए यह विनिश्चय किया गया कि उक्त कर्मचारी का निलम्बन वापस लेने पर उसके विरुद्ध लम्बित जांच प्रभावित होने की सम्भावना नहीं है। अतः श्री राजेश कुमार मिश्र, अभिलेखपाल दीवानी को तत्काल प्रभाव से पुनर्स्थापित (reinstate) किया जाता है।

उक्त कर्मचारी के विरुद्ध संस्थित जांच संख्या–15/ 2020 यथाशीघ्र पूर्ण की जाय और जांच के अध्याधीन निलम्बन अवधि के वेतन के सम्बन्ध में आदेश पृथक रुप से पारित किया जायेगा।

आदेश की प्रति सम्बन्धित कर्मचारी, लेखानुभाग एवं जांच अधिकारी को प्राप्त करायी जाये।

दिनांक–12.01.2021

जिला न्यायाधीश
भदोही।